उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-64/2018-19

सुभाष चन्द्र साह वगैरह

बनाम्

अंचल अधिकारी, मेहरमा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 18/09/19	
	यह अपील वाद अपीलकर्त्ता सुभाष चन्द्र साह, पे0—स्व0 सत्य नारायण साह, वो सीत कुमार साह, पे0—स्व0 मेघनाथ साह वो अर्जुन साह, पे0—स्व0 सूर्यनारायण साह वो देवेन्द्र साह, पे0—स्व0 सहलाद साह वो प्रदीप कुमार साह, पे0—स्व0 सरजू प्र0 साह वो राम नरेश साह, पे0—स्व0 सीताराम साह सभी साकिनान—आमडॉड़, अंचल—मेहरमा, जिला—गोड्डा के अपील आवदेन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के डी0डी0 सं0—16/रा0 दिनांक—23.02.2019 के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु निर्गत नोटिश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।
	अपीलकर्त्तागण का आवेदन है कि मौजा—अमडॉड़ नं0—285 गैरमजरूआ खाता नं0—47 दाग नं0—137 रकवा 00—01—18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रास्ता कह कर दर्ज है। उसके पूरब तरफ दाग नं0—134, 135 एवं 136 की जमीन अवस्थित है। उक्त दाग नं0 की जमीन अपीलकर्त्तागण की जमीन है, जिसमें से दाग नं0—135 एवं 136 मकानमय सहन कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। रास्ते का उपयोग अपीलकर्त्तागण के द्वारा करते आ रहें हैं। क्योंकि रास्ता दक्षिण तरफ पूर्ण रूप से वंद है एवं उत्तर तरफ मुख्य सड़क में मिलता है। उनका आगे आवेदन है कि उत्तरवादी सं0—3 के द्वारा समस्या उत्पन्न करने के नियत से रास्ता की जमीन पर दरवाजा खोलने के लिए प्रयास करने लगा। उत्तरवादी सं0—3 दाग नं0—138 के जमीन के जमाबंदी रैयत के वंशज है एवं मुख्य सड़क पर आने—जाने के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं है। उत्तरवादी सं0—3 के द्वारा दाग नं0—137 की रास्ता का उपयोग कभी भी नहीं किया है। जमीन का नापी सही तरिके से होने पर वस्तु स्थिति का पता चलता, किन्तु उक्त जमीन का अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा नियुक्त अमीन के द्वारा सही तरीके से नापी भी नहीं किया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा निर्गत किया गया नोटिश सही नहीं है। उन्होंने अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेश को रोकने के लिए अनुरोध किया है।

अभिलेख के साथ संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि मौजा–आमडॉड़ नं0–285 गैरमजरूआ खाता नं0–47 दाग नं0–137 रकवा 00–01–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रास्ता कहकर दर्ज है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा उक्त रास्ता की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश किया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेश पर हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान अपील वाद में भी नोटिश देने के वाद भी निर्धारित तिथि को बार–बार पुकार पर अपीलकर्त्तागण अनुपस्थित रहे हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेश को वरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि मौजा–आमडॉड़ नं0–285 गैरमजरूआ खाता नं0–137 रकवा 00–01–18 धुर जमीन के अन्तर्गत अतिक्रमित जमीन को आठ सप्ताह के अंदर अतिक्रमण से मुक्त कराकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

16/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Sen Bhaskar 29/9/21

DB No – 137
Date – 18/09/

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 15:32:41 +05:30
Location: 192.168.29.32